FAX

फैक्स/समयबद्ध

संख्या- 1212/1-10-2015-12(34)/03टी0सी0-1

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग- 10 लखनऊ: दिनांक: 14 दिसम्बर, 2015

विषय- वर्ष 2015-16 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु कम्बलों का वितरण और अलाव की व्यवस्था ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि वर्ष 2015-16 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु कम्बल क्रय किये जाने तथा अलाव जलाये जाने के लिये शासनादेश संख्या-1092/1-10-14-12(34)/03टी.सी I, दिनांक 04.11.2015 द्वारा आवंटन किया गया था। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-1156/1-10-14-12(34)/03टी.सी.I, दिनांक 24.11.2015 के माध्यम से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 11.12.2015 को समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारीगण एवं अपर जिलाधिकारीगण (वि/रा) को एस0एम0एस0 के माध्यम से कम्बल वितरण तथा अलाव जलाये जाने की सूचना प्रतिदिन राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

2- प्रदेश में अत्यधिक ठण्ड के साथ-साथ शीतलहरी का प्रकोप प्रारम्भ हो गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रदेश में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के बचाव हेतु नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम, ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने एवं निराश्रित, असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तिया को निःशुल्क कम्बल आदि के वितरण की कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित करायी जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु, भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा आदि के अभाव में न होने पाये।

3- नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत आदि द्वारा निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के ठण्ड से बचाव के लिए अपने क्षेत्र में स्थापित रैन बसेरे, शेल्टर होम में रूकने वाले कमजोर वर्ग के लोगों के ठण्ड से बचने के लिए आवश्यक समस्त उपाय किए जायें तथा इन रैन बसेरों के आस-पास अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

4- जनपदों में सार्वजनिक चिन्हित स्थानों पर जलाये जाने वाले अलाव स्थलों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाय तथा स्थानीय समाचार पत्रों एवं मीडिया में भी इससे सम्बन्धित सूचनायें प्रसारित करायी जाय ताकि शासन द्वारा जन सामान्य को ठण्ड से बचाव हेतु किये जा रहे व्यापक उपायों की जानकारी हो सके।

5- उपरोक्त मदों में आवंटित धनराशि का पूर्ण सदुपयोग होने के पश्चात यदि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ती है तो स्वीकृत धनराशि के उपभोग के पूर्ण विवरण सहित अपेक्षित धनराशि का समुचित प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

6- शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में राहत कार्यों के क्रियान्वयन सम्बन्धी अनुपालन आख्या (कम्बलों का वितरण एवं अलाव जलाये जाने की स्थिति) राहत कन्ट्रोल रूम के फैक्स संख्या-0522-2238084 अथवा 2236305 पर प्रेषित किए जाने के साथ ही राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर प्रत्येक दिन सायं 04.00 बजे तक अवश्य अपलोड किया जाय।

7- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।